50

न्यायालय सहायक कलक्टर, सिरोही
रा.प्र. पत्र अ. धारा 212 RTA
प्रवीणादेवी बनाम गोरधनादेवी
प्रकरण क्र. 53/19

दि. 7-7-2020

सरकारान अधिवक्ता उपस्थित।
बाज साहब कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम व सुरक्षा कारणों से सरकारी कार्यों में व्यस्त है
अतः पत्रावली इलतवा होकर दिनांक 24-8-2020 को पेश हो

Notices

Ro 21.7.2020

यह पत्रावली कोरोना वायरस कोविड-19 के लॉकडाउन के कारण राजस्व मण्डल राजस्थान के आदेशानुसार में आने पर मेरे समक्ष पेश हुई। वकील श्री मोहनलाल सिंह ने बादीगण की ओर से हाजिर होकर विपक्षीगण इस राजस्व प्रा. पं. अधिनियम 212 R.T Act के अपने नहीं बताने तथा खारीज करवाने हेतु Not Press किया है। अतः विपक्षीगण यह अधिनियम धारा 212 R.T Act के विरुद्ध प्रार्थीगण प्रार्थीगण वकील द्वारा Not Press करने से अपने बताने योग्य नहीं होने तथा खारीज योग्य होने से जरिये प्रार्थीगण Not Press में खारीज किया जाय है। निर्णय सरे ईजलास सुनाया। पत्रावली पेश तक शुमार होकर नंबर से कम है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Harsmukh Kumar
Date: 2021.08.10 14:29:40 IST
Reason: SelfAttested